

दाराहिदें व अन्य बनाम हरिकृष्ण रिडल मार्ट  
मुकदमा संख्या/वर्ष : 22 / 2021

क्र०स०	दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/05/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। साविकानुसार पालनाथ सी. नौरीक अधिकाधिक मी फुल नर्वे सि गय है। P.O. लाइव अन्य राजकाश में व्यस्त है। अतः पत्रावली वाले उचित अधिक मांग/व्यक्ति दिनांक 09/05/22 को पेश है।</p>
	09/05/22	<p>आज दिनांक 09/05/22 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा आज कन्डोलिस कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/05/22 को पेश हो।</p>
	19/05/22	<p>आज दिनांक 19/05/22 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा आज कन्डोलिस कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/05/22 को पेश हो।</p>
	31/05/22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को शाम 5:00 बजे तक बार-बार आवाज लगाया गया है। बार-बार आवाज लगाते के उपरांत भी</p>

# फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आम्बेर

मुख्यालय-जयपुर

द्वारा दि. २२/०३/२०२१ बनाम दीर्घेश मिश्र

संख्या/वर्ष : २२/२०२१

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
३१/३/२१	<p>काशीगण अथवा काशीगण अतिवृत्त को ई उपस्थित नही हुए। पत्रावली का भवलोक्षण किया गया। पत्रावली को तलबी परिवारी नियत है। मित्रों के कोदेश दिनांक २२/०३/२१ की पालना की गयी। नोतिक परिवारीगण प्रस्तुत नहीं किए गए। निरन्तर क्वॉटर दिए जाने के उपरान्त को कोदेश की पालना तलबी/नोतिक परिवारीगण पेश नहीं किए गए हैं तथा कोष नियंत्रण समीक्षा पेशी पर अनुपस्थित हैं। मित्रों के प्रतीव द्वारा है कि काशीगण भ्रष्ट वाद के प्रति गंभीर है। ईच्छु नही है। अतः वाद काशीगण कोष के निम्न ०९ के पावदान के अन्तर्गत स्थायी किया गया है। पत्रावली ई मिल शुमा होकर दस नम्बर से दस है। वाद तलबील शरिफ दफ्तर है। निर्णय हुआ गया।</p>	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आम्बेर  
मुख्यालय-जयपुर